

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के श्री शंकर लाल मीणा, निलम्बित व्याख्याता(वाणिज्य) मुख्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/विजांच/11175/एस-390/2021/08 दिनांक 09.04.2021 द्वारा दिनांक 20.02.2021 से निलम्बित किया गया है, जोकि निलम्बन काल में मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में दिनांक 09.07.2021 से उपस्थिति दे रहे हैं।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक- एफ-4/एफ.डी./रूल्स/07 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ 6(4)/एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 22.07.2021 के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकितानुसार किराये के मकान/स्वयं के मकान में रहने की तिथि/आवेदन तिथि से, जो कि उनके नाम के सामने अंकित की गई है, से मूल वेतन का 18 प्रतिशत मकान किराया भत्ता आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रसं	नाम व्याख्याता मय विषय	आवेदन करने की तिथि	मूल वेतन	मकान किराया भत्ता स्वीकृति तिथि
1	श्री शंकर लाल मीणा, निलम्बित व्याख्याता(वाणिज्य) मुख्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर	23.09.2021	52900 /	23.09.2021

Rajasthan Education Department



18-11-21
(काना राम)

आई.ए.एस.
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर
दिनांक- 18/11/21

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/निलम्बित/मकान/निर्वाह भत्ता/2018-19/20
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा- सम्बन्धित मण्डल
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 3 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी- माध्यमिक/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
- 4 स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग निदेशक, कार्यालय हाजा
- 5 अनुभाग अधिकारी, रोकड़/वि.जांच/डीपीसी अनुभाग, कार्यालय हाजा
- 6 सम्बन्धित कार्मिक
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर